सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

Ministry of Home Affairs, Department of Official Language

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

Central Hindi Training Institute

संख्या-ए-32013/01/2021-केहिप्रसं./ 1707 दिनांक : 12-07-2024

कार्यालय आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 35034/3/2008-स्था (घ) के तहत जारी दिशा-निदेशों तथा राजभाषा विभाग के दिनांक 03.07.2024 के पत्र संख्या 14034/18/2022-राभा (प्रशि) के अनुसार कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उनके नाम के आगे दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	प्रारंभिक/नियमित नियुक्ति की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन देने पर ग्रेड वेतन सहित वेतनमान	दिए जाने वाले वित्तीय अपग्रेडेशन का प्रकार
1	श्री संतोष कुमार, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)	18.02.2014 सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) पीबी-3 रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु.5400	18.02.2024	लेवल-11 रु.67,700-2,08,700 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु.6600)	प्रथम
2.	श्री अरविन्द कुमार, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)	07.04.2014 सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) पीबी-3 रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु.5400	07.04.2024	लेवल-11 रु.67,700-2,08,700 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु.6600)	प्रथम

....2/..

12-7-24.

7वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 03

7thFloor,P.Deendayal Antyodaya Bhawan,C.G.O.Complex,Lodhi Road, New Delhi-03

ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website:http://chti.rajbhasha.gov.in

यह वित्तीय अपग्रेडेशन संबंधित अधिकारी के लिए पूर्णतः वैयक्तिक आधार पर होगा और उसकी वरिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वित्तीय अपग्रेडेशन से किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस आधार पर कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा कि उससे कनिष्ठ अधिकारी उक्त ग्रेड में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के कारण उच्चतर वेतन ले रहा है।

उपरोक्त अधिकारियों का वेतन मूलभूत नियमावली के नियम 22(I)(क)(1) के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाएगा। मूल नियम 22(I)(क)(1) में दी गई व्यवस्था के आधार पर वेतन निर्धारण के लिए संबंधित अधिकारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद दिया गया विकल्प मान्य नहीं होगा।

संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय मिलने वाले वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा।

संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की पुष्टि लेखा परीक्षा दवारा की जाएगी तथा आवश्यक वसूली, यदि कोई हुई तो लेखा परिप्रेक्ष्य में की जाएगी।

यह कार्यालय आदेश निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

12-7-2024

(नरेन्द्र कुमार प्रसाद)
उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. वेतन तथा लेखा कार्यालय (सचिवालय) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. क्षेत्रीय वेतन तथा लेखा कार्यालय, के.औ.सु.बल, गृह मंत्रालय, चेन्नै।
3. अवर सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के उनके दिनांक 03.07.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14034/18/2022-रा.भा.(प्रशि.) के संदर्भ में।
4. उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना (दक्षिण), चेन्नै।
5. सहायक निदेशक (भाषा) एवं कार्यालयाध्यक्ष, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), नई दिल्ली।
6. श्री संतोष कुमार, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) को ई-मेल के दवारा।
7. श्री अरविन्द कुमार, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) को ई-मेल के दवारा।
8. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।
9. व्यक्तिगत फाइल/सेवापंजी